भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026

(2026 का 10)

सं. आरजी-1/(1)/2026-एनएसएल-I --- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (vii) और (viii) के साथ पठित धारा 36 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 (1999 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रवृत्त होंगे।

2. अंत: संयोजन करारों का रजिस्टर विनियम, 1999 (1999 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 2 में, --

(क) खंड (vii) को हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(viii-क) "उपयोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी दूरसंचार सेवा का उपयोग करता है, किन्तु इसमें ऐसी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;"

3. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (i) में, "इंटरकनेक्टिंग सेवा प्रदाताओं के नाम," शब्दों के पश्चात् और "उनके प्रचालन के सेवा क्षेत्र" शब्दों से पूर्व, "अंत: संयोजन करारों के अधीन विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवा प्राधिकार," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4. मूल विनियमों के विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

"**5. अंतः संयोजन करारों का पंजीकरण.** —सभी सेवा प्रदाता, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से, ऐसे किसी भी अंतः संयोजन करार को जिसके वे पक्षकार हैं और उसमें किए गए किसी भी संशोधन को, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्राधिकरण के पास पंजीकृत करेंगे:—

(क) ऐसा कोई भी करार जो 1 जनवरी, 2027 को प्रवृत्त हो, उक्त तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) अन्य सभी मामलों में, ऐसे करारों के निष्पादन या संशोधन के पंद्रह दिनों के भीतर।"

5. मूल विनियमों के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**6. रिपोर्टिंग.**— सभी सेवा प्रदाता प्रत्येक अंतः संयोजन करार और उसमें किए गए प्रत्येक संशोधन की पाठ-खोज योग्य इलेक्ट्रॉनिक प्रति, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (पीडीएफ) में तथा ऐसे अन्य प्रारूप में, जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, विनियम 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।"

6. मूल विनियमों के विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"7. प्राधिकरण समय-समय पर अंतः संयोजन करारों के ऐसे भागों की विखंडित (डिसएग्रीगेटेड) सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनका अंतः संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों/विनिर्देशों, सेवा की गुणवत्ता, दोष निवारण प्रक्रियाओं, सेवा-अवरोध की अवधि, अभिगम प्रभार, पोर्ट प्रभार, राजस्व साझाकरण व्यवस्थाओं, परिचालन क्षेत्र तथा उपयोक्ता-संबंधी सूचना, जैसे सेवाओं की श्रेणी और इसी प्रकार की अन्य सूचना पर प्रभाव पड़ता हो, जिन्हें रजिस्टर में भी सम्मिलित किया जाना है और प्रत्येक सेवा प्रदाता ऐसी सूचना प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।"

7. मूल विनियमों के विनियम 8 में, प्रारंभ में आने वाले "यह रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर, "रजिस्टर का खण्ड III" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. मूल विनियमों के विनियम 9 में, "अवर सचिव (वाणिज्यिक), टी आर ए आई को, या प्राधिकरण द्वारा इस काम के लिए नामित अन्य प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "प्राधिकरण द्वारा इस काम के लिए नामित अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. मूल विनियमों के विनियम 11 में, --

(क) "अनुमति दे सकता है" शब्दों के पश्चात्, "रजिस्टर के निरीक्षण के लिए आवेदन," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ख) "तक अभिगम या एक्सेस" शब्दों के पश्चात्, "के भाग III" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) "रजिस्टर" शब्द के पश्चात्, ", तथा उसकी प्रतियां या उद्धरण प्राप्त करने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; और

(घ) "वेब-साइट" शब्द के स्थान पर, "पोर्टल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. मूल विनियमों के विनियम 12 में, --

(क) उप-विनियम (i) में, "50.00 रुपये प्रति घंटा" शब्दों के स्थान पर "एक हजार पांच सौ रुपये प्रति घंटा या उसके कोई भाग के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-विनियम (ii) में, "20.00 रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. मूल विनियमों के विनियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"12क. इन विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणाम —

(1) यदि कोई सेवा प्रदाता विनियम 5, विनियम 6 या विनियम 7 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह अपने लाइसेंस या प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के अधीन लगाए जा सकने वाले किसी दंड अथवा किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या किए गए आदेशों या जारी किए गए निर्देशों के अधीन की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन विनियमों की अनुसूची-I में उपबंधित वित्तीय निरुत्साहन के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पाए गए उल्लंघन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(3) प्राधिकरण कारणों को लेखबद्ध कर कोई वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित न करने या वित्तीय निरुत्साहन की कम राशि अधिरोपित करने का निर्णय ले सकता है ।

12ख. वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान — (1) इन विनियमों के अधीन वित्तीय निरुत्साहन के रूप में देय राशि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी।

(2) यदि सेवा प्रदाता विनियम 12क के अधीन वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के आदेश के जारी होने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर या वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के आदेश में नियत अवधि के भीतर वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष, जिसमें नियत अवधि का अंतिम दिन पड़ता है, के आरंभ में प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) से दो प्रतिशत (2%) अधिक दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए ब्याज की गणना हेतु कैलंडर महीने के किसी भाग को पूर्ण महीना माना जाएगा, और एक महीने को अंग्रेजी कैलेंडर महीने के रूप में गिना जाएगा।

12ग. समीक्षा —प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इन विनियमों के प्रावधानों की समीक्षा की जा सकती है।"

12. मूल विनियमों के विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**13. कठिनाइयों का निवारण**.— इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या अनुप्रयोग में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण आवश्यक स्पष्टीकरण या दिशानिर्देश जारी कर सकता है जो अंतिम और बाध्यकारी होंगे।"

13. मूल विनियमों के विनियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची-I

[विनियम 12क देखें]

क्र. सं.	**विनियम के अधीन उल्लंघन**	**उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए वित्तीय निरुत्साहन की राशि**
1	विनियम 7 का उल्लंघन	(i) पंद्रह दिनों तक के विलंब के लिए प्रति दिन पचास हजार रुपये तक; और (ii) पंद्रह दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन एक लाख रुपये तक: परंतु यह कि, उपर्युक्त मद (i) और मद (ii) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
2	विनियम 5 या विनियम 6 का उल्लंघन	(i) पंद्रह दिनों तक के विलंब के लिए प्रति दिन एक लाख रुपये तक; और (ii)पंद्रह दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन दो लाख रुपये तक: परंतु यह कि, उपर्युक्त मद (i) और मद (ii) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि उल्लंघन के प्रत्येक

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

		दृष्टांत के लिए प्रति सेवा क्षेत्र एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

"

(पुष्पेंद्र कुमार सिंह)

सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

टिप्पणी 1: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना सं. 409-1/98-ट्राई (वाणिज्यिक) दिनांक 31 अगस्त, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:

(i) अधिसूचना सं. 11-11/2004/बीएंडसीएस दिनांक 3 फरवरी, 2004 (2004 का 2)

(ii) अधिसूचना सं. 11-11/2004-बीएंडसीएस दिनांक 31 दिसंबर, 2004 (2004 का 14)

(iii) अधिसूचना सं. 306-3/2005-क्यूओएस दिनांक 4 मार्च, 2005 (2005 का 5)

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन "अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026" के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

अस्वीकरण: यह अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 मान्य होगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अंतः संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026

का

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्रस्तावना

1.1. दूरसंचार में अंतः संयोजन से ऐसे वाणिज्यिक और तकनीकी प्रबंध अभिप्रेत हैं जो प्राधिकृत संस्थाओं या लाइसेंसधारियों को अपने दूरसंचार उपकरणों, नेटवर्कों और सेवाओं को परस्पर जोड़ने में समर्थ बनाते हैं जिससे उनके उपभोक्ता अन्य प्राधिकृत संस्थाओं या लाइसेंसधारियों के उपभोक्ताओं, सेवाओं, और नेटवर्कों तक अभिगम कर सकें।

1.2. अंतः संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 को 31 अगस्त, 1999 को अधिसूचित किया गया था और 1 सितंबर, 1999 को प्रवृत्त हुए थे, जिनका उद्देश्य सेवा प्रदाताओं के बीच किए गए अंतः संयोजन करारों के पंजीकरण के लिए एक विनियामक ढांचा स्थापित करना था। इन विनियमों में सेवा प्रदाताओं के बीच अंतः संयोजन करारों के रजिस्टर के रखरखाव और उससे संबंधित विषयों के लिए तौर-तरीके विहित किए गए हैं। इन विनियमों में अंतः संयोजन करारों को प्रस्तुत करने और उनके पंजीकरण, प्राधिकरण द्वारा रजिस्टर के रखरखाव, अंतः संयोजन करार की गोपनीय रखी जाने वाली विषय-वस्तु, अंतः संयोजन करारों के निरीक्षण तथा संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। तत्पश्चात्, इन विनियमों में 3 फरवरी, 2004, 31 दिसंबर, 2004 और 4 मार्च, 2005 को संशोधन किए गए।

1.3. यह व्याख्यात्मक ज्ञापन अंतः संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 की पृष्ठभूमि, औचित्य और अंतर्निहित विचारों को प्रस्तुत करता है, ताकि हितधारक इन विनियमों को तैयार करने में प्राधिकरण के दृष्टिकोण को समझ सकें।

2. भारत में अंतः संयोजन करारों के रजिस्टर के लिए विनियामक रूपरेखा की समीक्षा हेतु वर्तमान प्रक्रिया

2.1. प्राधिकरण ने दिनांक 3 अप्रैल 2025 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया और तत्पश्चात् इन विनियमों के विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों के विचार जानने के लिए 10 नवंबर 2025 को 'अंतः संयोजन मामलों पर विद्यमान भादूविप्रा विनियमों की समीक्षा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से क्रमशः 15 दिसंबर 2025 और 29 दिसंबर 2025 की विस्तारित अंतिम तारीखों तक अपनी लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। 28 जनवरी 2026 को हितधारकों के साथ खुली परिचर्चा आयोजित की गई। परामर्श पत्र में उठाए

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

गए मुद्दों, टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों के माध्यम से तथा खुली परिचर्चा के दौरान हितधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों का आगामी अनुच्छेदों में परीक्षण किया गया है।

3. अंत: संयोजन करारों के रजिस्टर से संबंधित विनियामक ढांचे से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण

3.1. प्राधिकरण ने 10 नवंबर, 2025 के परामर्श पत्र में अंत: संयोजन करारों के रजिस्टर से संबंधित विनियामक ढांचे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार आमंत्रित किए थे। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में चर्चा किए गए प्रासंगिक मुद्दे निम्नलिखित हैं:

(क) अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, निरीक्षण और उनके प्रासंगिक भागों की प्रति प्राप्त करने की आवश्यकता का परीक्षण।

(ख) रजिस्टर के निरीक्षण के लिए शुल्क तथा रजिस्टर से प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार का परीक्षण।

(ग) आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन रूपरेखा।

परामर्श प्रक्रिया में उठाए गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर में हितधारकों से बड़ी संख्या में विचार प्राप्त हुए। हितधारकों से प्राप्त अभिमतों पर प्राधिकरण द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और उनका सार आगामी खंडों में प्रस्तुत किया गया है, जिसके पश्चात् उनका विश्लेषण तथा उन पर लिए गए निर्णय दिए गए हैं।

3.2. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों को औचित्य के साथ इस बात पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था कि क्या फ्लॉपी डिस्क और मुद्रित (प्रिंट) प्रतियों का उपयोग करके 'अंत: संयोजन करारों का रजिस्टर विनियम, 1999' के अधीन अंत: संयोजन करारों को प्रस्तुत करने, उनका निरीक्षण करने और उनकी प्रतियां प्राप्त करने के वर्तमान प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसे ऑनलाइन कर दिया जाना चाहिए।

3.3. एक अन्य प्रश्न में गैर-अनुपालन को रोकने के लिए अंत: संयोजन विनियमों में आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन और उनके परिमाणीकरण पर हितधारकों के विचार मांगे गए थे।

3.4. **अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, निरीक्षण और उनके प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने की आवश्यकता का परीक्षण, निरीक्षण हेतु शुल्क तथा प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार की समीक्षा और आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे का परीक्षण।**

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.4.1. इन मुद्दों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) की मौजूदा सुसंगत धाराएं तथा विनियामक ढांचा, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार हैं:—

3.4.2. भादूविप्रा अधिनियम के 'प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य' शीर्षक के अधीन धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (vii) और (viii) में निम्नलिखित उपबंध हैं:

"(ख) निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करना, अर्थात्:-

...

(vii) अन्त:सम्बन्धित करारों का और सभी ऐसे अन्य विषयों के ऐसे रजिस्टर रखना जो विनियमों में उपबंधित किए जाएं;

(viii) खंड (vii) के अधीन रखे गए रजिस्टर को ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन पर जो विनियमों में उपबंधित की जाएं, जनता के किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुला रखना;"

3.4.3. अंत: संयोजन करारों और उनमें किए गए संशोधनों को प्रस्तुत करने के संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 का विनियम 6 निम्नलिखित का उपबंध करता है:

"6. समस्त सेवा प्रदाता, प्राधिकरण को प्रत्येक इंटरकनेक्ट करार की, यदि कोई संशोधन हुए हों तो उनके साथ, मुद्रित रूप में, यथा प्रमाणित दो प्रतियां देंगे। इसके साथ ही 3.5" आकार की फ्लॉपी/ डिस्क में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में उसकी एक सॉफ्ट कॉपी तथा समय समय पर यथा निर्धारित किसी अन्य रूप में भी उसकी प्रतियां देंगे।"

3.4.4. रजिस्टर के भाग III के अंत: संयोजन करार और उसमें किए गए संशोधनों के संगत भागों के उद्धरण प्राप्त करने के संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 के विनियम 8, विनियम 9 और विनियम 10 निम्नलिखित का उपबंध करते हैं:

"8. यह रजिस्टर किसी भी आम आदमी द्वारा निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगा। इसके लिए उसे निर्धारित शुल्क (फीस) देना होगा और इन विनियमों में बताई गई या समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित शर्तों को पूरा करना होगा।

9. कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर का निरीक्षण करना चाहता है, अवर सचिव (वाणिज्यिक), टी आर ए आई को, या प्राधिकरण द्वारा इस काम के लिए नामित अन्य प्राधिकारी को यह बताते हुए आवेदन देगा कि उसे क्या क्या सूचना चाहिए।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

10. नामित अधिकारी इस रजिस्टर के निरीक्षण की अनुमति देगा और समय समय पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर रजिस्टर के संबंधित अंशों के उद्धरण उपलब्ध कराएगा।"

3.4.5. समय-समय पर यथासंशोधित अंतः संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 के विनियम 12 में रजिस्टर के निरीक्षण के लिए शुल्क तथा रजिस्टर के प्रासंगिक भागों से उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं:

"12. (i) रजिस्टर के निरीक्षण के लिए 50.00 रुपये प्रति घंटा का शुल्क लगेगा ।

(ii) रजिस्टर से उद्धरणों की प्रतियों के लिए 20.00 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क लगेगा।"

(क) अंतः संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, निरीक्षण और उनके प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने की आवश्यकता, निरीक्षण हेतु शुल्क और प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार की समीक्षा तथा आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे के संबंध में हितधारकों के विचार।

3.4.6. अनेक हितधारकों ने कहा कि अंतः संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों को प्रस्तुत करने की मौजूदा फ्लॉपी डिस्क और कागज-आधारित व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए तथा इसे पूर्णतः डिजिटल और ऑनलाइन व्यवस्था में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। हितधारकों ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान व्यवस्था पुरानी और अकुशल है तथा इसे विकसित होती प्रौद्योगिकीय और विनियामक पद्धतियों के अनुरूप डिजिटल प्रक्रियाओं से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, हितधारकों ने अंतः संयोजन करारों के प्रस्तुतीकरण, पावती, ट्रैकिंग, निरीक्षण और उन तक पहुंच सहित संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल अपनाए जाने का व्यापक रूप से समर्थन किया।

3.4.7. कुछ हितधारकों ने हस्ताक्षरित (वेट-साइन्ड) भौतिक दस्तावेजों के स्थान पर दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्रस्तुत करने के महत्व को भी रेखांकित किया, क्योंकि भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत करने से विलंब और अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं।

3.4.8. कुछ हितधारकों ने खोज न की जा सकने वाली स्कैन की गई प्रतियों के स्थान पर खोज योग्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, क्योंकि खोज योग्य स्कैन किए गए दस्तावेज उनमें निहित सूचना की समीक्षा और पुनर्प्राप्ति को अधिक सुगम और कुशल बनाते हैं।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.4.9. प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा के संबंध में, कुछ हितधारकों ने प्रस्ताव किया कि अंत: संयोजन करारों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उनके निष्पादन की तारीख से 15 अथवा 7 दिनों के भीतर भादूविप्रा के पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.4.10. रजिस्टर के निरीक्षण और उसके प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क के संबंध में, अनेक हितधारकों ने कहा कि इससे संबंधित कोई भी शुल्क नाममात्र, युक्तियुक्त और स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होना चाहिए।

3.4.11. कुछ हितधारकों ने गैर-गोपनीय अभिलेखों तक जनसाधारण की पहुंच को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुगम बनाने तथा डिजिटल परिवेश में निरीक्षण और प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क समाप्त करने की सिफारिश की।

3.4.12. अनुपालन न किए जाने को रोकने के लिए अंत: संयोजन विनियमों में आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन के उपबंधों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में, कुछ हितधारकों ने कहा कि वित्तीय निरुत्साहन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक परिपक्व दूरसंचार बाजार और मौजूदा विनियामक उपबंध अतिरिक्त शास्तियों के बिना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं। अन्य हितधारकों ने आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे को सम्मिलित किए जाने का समर्थन किया। एक हितधारक ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दोनों द्वारा अनुपालन न किए जाने को रोकने के लिए विनियमों में वित्तीय निरुत्साहन के उपयुक्त उपबंध सम्मिलित किए जाने चाहिए। अन्य हितधारकों ने अंतर-प्रचालक अधिकारों और दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन को एक निवारक उपाय के रूप में अपनाने की सिफारिश की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वित्तीय निरुत्साहन केवल अत्यंत गंभीर मामलों में, सेवा प्रदाताओं को सुनवाई का अवसर दिए जाने और अनुपालन न किए जाने के निर्णायक प्रमाण के पश्चात् ही लागू किया जाना चाहिए।

(ख) अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, निरीक्षण और उनके प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने की आवश्यकता, निरीक्षण हेतु शुल्क तथा प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार की समीक्षा, आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण और प्राधिकरण के विचार।

3.4.13. अंत: संयोजन करारों को कागजी रूप में तथा उनकी सॉफ्ट कॉपी 3.5" फ्लॉपी/डिस्केट में प्रस्तुत करने संबंधी मौजूदा उपबंध अप्रचलित, प्रौद्योगिकीय दृष्टि से पुराने तथा वर्तमान प्रचलित कार्य-पद्धतियों के अनुरूप नहीं रह गए हैं। भौतिक दस्तावेजों और अप्रचलित भंडारण माध्यमों पर निरंतर निर्भरता से प्रक्रियागत

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं। इन अक्षमताओं को ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण अपनाकर तथा अंतः संयोजन करारों के भौतिक प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करके दूर किया जा सकता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि इन विनियमों के अधीन अंतः संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों का प्रस्तुतीकरण अब से केवल पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा। इस व्यवस्था से अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण, प्रबंधन, रखरखाव और पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने तथा भौतिक दस्तावेजों और अप्रचलित प्रौद्योगिकीय प्रारूपों पर निर्भरता कम होने की अपेक्षा है।

3.4.14. जनसाधारण के लिए निरंतर सुगम्यता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, रजिस्टर के निरीक्षण और उसके प्रासंगिक भागों से उद्धरण प्राप्त करने की सुविधा भौतिक तथा पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मौजूदा भौतिक माध्यम के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने से अधिक लचीलापन प्राप्त होगा, सूचना की कुशल पुनर्प्राप्ति और प्रसार सुगम होगा तथा उपयोक्ताओं के लिए पहुंच की सुगमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, रजिस्टर के निरीक्षण और उससे उद्धरण प्राप्त करने संबंधी उपबंध भौतिक माध्यम तथा पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, दोनों के लिए समान रहेंगे।

3.4.15. यह पाया गया है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (पीडीएफ) जैसे मानक प्रारूपों में पाठ-खोज योग्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से प्रसंस्करण में सुगमता और अभिलेख प्रबंधन में दक्षता बढ़ेगी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी सेवा प्रदाता अपने अंतः संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों की पाठ-खोज योग्य पीडीएफ प्रति इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भादूविप्रा के पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे।

3.4.16. अंतः संयोजन करारों के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा को कम करने के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है। इस संबंध में, कुछ हितधारकों ने अंतः संयोजन करार के निष्पादन की तारीख से पंद्रह दिन की समय-सीमा का सुझाव दिया है, जबकि कुछ अन्य हितधारकों ने सात दिन की समय-सीमा का सुझाव दिया है। यह नोट किया गया है कि मौजूदा तीस दिन की समय-सीमा उस समय निर्धारित की गई थी, जब अंतः संयोजन करारों को फ्लॉपी या डिस्केट में सॉफ्ट कॉपी के साथ भौतिक रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। अब यह निर्णय लिया गया है कि अंतः संयोजन करार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। तदनुसार, प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक समय में पर्याप्त कमी आएगी। इसे ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन परिवेश में अंतः संयोजन करार के निष्पादन या संशोधन की तारीख से पंद्रह दिन की समय-सीमा उपयुक्त होगी। साथ ही, यदि सेवा प्रदाता ऐसा करने की स्थिति में हैं, तो वे निर्धारित समय-सीमा से पहले भी अंतः संयोजन करार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.4.17. यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण विनियम 7 के अधीन अंत: संयोजन करारों से संबंधित पृथक-पृथक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारूप विनिर्दिष्ट कर सकता है, तथापि मौजूदा उपबंधों में ऐसी सूचना को किसी विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का स्पष्ट उपबंध नहीं है। तदनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसी सूचना विनिर्दिष्ट प्रारूप में और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा संबंधी उपबंध अंतःस्थापित किया गया है, ताकि रजिस्टर का प्रभावी रखरखाव और समय पर अद्यतनीकरण सुगम बनाया जा सके।

3.4.18. रजिस्टर के निरीक्षण हेतु शुल्क तथा रजिस्टर से उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने के प्रभार के संबंध में यह नोट किया गया है कि रजिस्टर के प्रासंगिक भागों के निरीक्षण और उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क इन विनियमों के वर्ष 1999 में अधिसूचित किए जाने के समय से अपरिवर्तित रहे हैं।

3.4.19. लागू प्रभारों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, रजिस्टर के प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए लागू शुल्क को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सूचना की प्राप्ति) विनियम, 2005 के अधीन विहित शुल्क के अनुरूप युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 के अधीन रजिस्टर से उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए शुल्क को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

3.4.20. यह स्वीकार किया गया है कि अभिलेखों के निरीक्षण और उद्धरण उपलब्ध कराने में, चाहे वे भौतिक रूप में हों अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसी व्यवस्थाओं के रखरखाव और उन्हें सुगम बनाने में प्रशासनिक और परिचालन लागत आती है। तदनुसार, एक युक्तियुक्त और मानकीकृत शुल्क ढांचा आवश्यक है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि रजिस्टर के प्रासंगिक भागों के निरीक्षण तथा उनसे उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क क्रमश: प्रति घंटा या उसके किसी भाग के लिए एक हजार पांच सौ रुपये तथा प्रति पृष्ठ पांच सौ रुपये होगा। जहां निरीक्षण की अवधि एक घंटे से अधिक हो, वहां प्रत्येक अतिरिक्त घंटे या उसके किसी भाग के लिए उसी दर से शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यह शुल्क संरचना मोटे तौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सूचना तक पहुंच) विनियम, 2005 के अधीन विहित शुल्क संरचना के अनुरूप है।

3.4.21. यह नोट किया गया है कि इन विनियमों में वर्तमान में परिभाषित "उपभोक्ता" शब्द वर्तमान दूरसंचार ढांचे में प्रयुक्त शब्दावली के अनुरूप नहीं है। तदनुसार, "उपभोक्ता" की परिभाषा को "उपयोक्ता" की परिभाषा से

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रतिस्थापित किया गया है और इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दावली को वर्तमान दूरसंचार ढांचे के अनुरूप बनाने तथा समग्र विनियामक ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए परिणामी परिवर्तन किए गए हैं।

3.4.22. यह भी निर्णय लिया गया है कि पंजीकृत करार किन प्राधिकारों से संबंधित हैं, उनकी पहचान को सुगम बनाने के लिए अंतः संयोजन करारों में विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवा प्राधिकारों का विवरण रजिस्टर के भाग I में सम्मिलित किया जाए।

3.4.23. प्राधिकरण ने समय-समय पर यथा संशोधित अंतः संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 में आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे के संबंध में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का परीक्षण किया है। वित्तीय निरुत्साहन सेवा प्रदाताओं द्वारा विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंतः संयोजन ढांचे के अधीन सेवा प्रदाताओं के अधिकारों की संरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3.4.24. यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित सेवा प्रदाता को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, प्रत्येक मामले के आधार पर वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि आनुपातिकता और निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन ढांचा लागू किया जाए। वित्तीय निरुत्साहन की राशि युक्तियुक्त और संतुलित होनी चाहिए, ताकि वह अनुपालन न किए जाने के विरुद्ध प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करे और न तो नगण्य हो और न ही अनावश्यक रूप से बोझिल।

3.4.25. प्राधिकरण ने इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन न किए जाने की प्रकृति और उसके संभावित प्रभाव पर विचार किया है। विनियम 5 और विनियम 6 के अंतर्गत आने वाले उपबंध अंतः संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों को पंजीकरण और रजिस्टर में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तुत करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबद्ध हैं। रजिस्टर को पूर्ण, सटीक और अद्यतन बनाए रखने के लिए ये अपेक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। इन विनियमों का कोई भी अनुपालन न होना, अर्थात् प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अंतः संयोजन करार और उनमें किए गए संशोधनों को प्रस्तुत करने में विफलता, अंतः संयोजन ढांचे के समुचित कार्यकरण को प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि विनियम 5 या विनियम 6 के अनुपालन न किए जाने के लिए अधिक वित्तीय निरुत्साहन उपयुक्त है।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.4.26. दूसरी ओर, विनियम 7 अंत: संयोजन करारों से संबंधित विहित प्रारूपों में पृथक-पृथक सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित है। यह सूचना रजिस्टर के प्रभावी रखरखाव और इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, इन अपेक्षाओं का अनुपालन न होना, अर्थात् प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत करने में विफलता, सामान्यतः अंत: संयोजन ढांचे पर तुलनात्मक रूप से सीमित प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि विनियम 7 के अनुपालन न किए जाने के लिए कम वित्तीय निरुत्साहन उपयुक्त है।

3.4.27. इस बात पर भी विचार किया गया है कि उल्लंघन की अवधि पर ध्यान दिए बिना एक निश्चित वित्तीय निरुत्साहन, अल्प अवधि के विलंब और निरंतर अनुपालन न किए जाने के बीच पर्याप्त अंतर नहीं कर पाएगा। अतः श्रेणीबद्ध वित्तीय निरुत्साहन विहित किया गया है, जिसमें पंद्रह दिन तक के विलंब के लिए कम दर तथा पंद्रह दिन से अधिक विलंब जारी रहने पर अधिक दर निर्धारित की गई है। लंबे समय तक विलंब के लिए अधिक दर का उद्देश्य सेवा प्रदाताओं को समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना है।

3.4.28. स्पष्टता के लिए, अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन का निर्धारण विलंब के दिनों की संख्या के अनुसार संचयी आधार पर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, ऐसे उल्लंघन के मामले में, जहां लागू अधिकतम दर पहले पंद्रह दिनों के लिए ₹50,000 प्रति दिन और पंद्रह दिनों से अधिक प्रत्येक दिन के लिए ₹1,00,000 प्रति दिन है, यदि विलंब बीस दिनों का है, तो पहले पंद्रह दिनों के लिए वित्तीय निरुत्साहन ₹7.5 लाख और अगले पांच दिनों के लिए ₹5 लाख होगा। इस प्रकार, लागू अधिकतम सीमा के अधीन, कुल अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन ₹12.5 लाख होगा।

3.4.29. साथ ही, वित्तीय निरुत्साहन पर एक युक्तियुक्त अधिकतम सीमा होनी चाहिए, ताकि वित्तीय दायित्व अनिश्चित काल तक बढ़ता न रहे। तदनुसार, विनियम 7 के अधीन मांगी गई सूचना को प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने में विफलता के प्रत्येक मामले के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पच्चीस लाख रुपये तथा विनियम 5 या विनियम 6 के उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए प्रति सेवा क्षेत्र एक करोड़ रुपये की समग्र अधिकतम सीमा विहित की गई है। उपर्युक्त को प्रभावी करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन के संबंध में निम्नलिखित अनुसूची सम्मिलित की गई है:—

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूची-I

क्र. सं.	विनियम के अधीन उल्लंघन	उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए वित्तीय निरुत्साहन की राशि
1	विनियम 7 का उल्लंघन	(iii) पंद्रह दिनों तक के विलंब के लिए प्रति दिन पचास हजार रुपये तक; और (iv) पंद्रह दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन एक लाख रुपये तक: परंतु यह कि, उपर्युक्त मद (i) और मद (ii) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
2	विनियम 5 या विनियम 6 का उल्लंघन	(iii) पंद्रह दिनों तक के विलंब के लिए प्रति दिन एक लाख रुपये तक; और (iv) पंद्रह दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन दो लाख रुपये तक: परंतु यह कि, उपर्युक्त मद (i) और मद (ii) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए प्रति सेवा क्षेत्र एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

3.4.30. इसके अतिरिक्त, वित्तीय निरुत्साहन की राशि का निर्धारण केवल विलंब के दिनों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उल्लंघन की प्रकृति, सीमा, अवधि, आवृत्ति और प्रभाव प्रत्येक मामले में भिन्न हो सकते हैं और वित्तीय निरुत्साहन की राशि निर्धारित करते समय इन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

3.4.31. वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित किए जाने से पूर्व सेवा प्रदाता को उल्लंघन के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होगी और प्राधिकरण वित्तीय निरुत्साहन निर्धारित करने से पूर्व सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार कर सकेगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.4.32. सेवा प्रदाता पर अधिरोपित वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान आदेश जारी किए जाने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर अथवा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और विलंब को निरुत्साहित करने के लिए, विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में वित्तीय निरुत्साहन की बकाया राशि पर साधारण ब्याज का उपबंध किया गया है। यह विचार किया गया है कि ब्याज की दर को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (MCLR) से, अतिरिक्त दो प्रतिशत सहित, संबद्ध करना लागू ब्याज दर निर्धारित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करेगा। तदनुसार, सेवा प्रदाता बकाया राशि पर उक्त दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लागू होगी जिसमें विनिर्दिष्ट अवधि का अंतिम दिन पड़ता है। यह भी उपबंध किया गया है कि ब्याज की गणना के लिए मास के किसी भाग को पूर्ण कैलेंडर मास माना जाएगा और एक मास को अंग्रेजी कैलेंडर मास माना जाएगा।

3.4.33. प्राधिकरण का यह मत है कि विनियामक ढांचे की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता हो सकती है और इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या अनुप्रयोग से संबंधित मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। तदनुसार, इन विनियमों की समीक्षा तथा कठिनाइयों के निवारण के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण या दिशानिर्देश जारी करने को समर्थ बनाने वाले उपबंध शामिल किए गए हैं।

अस्वीकरण: यह अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 मान्य होगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi